88

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2470-एक/2010 - विरूद्व- आदेश दिनॉक 19-9-2001 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल - प्रकरण कमांक 260/1986-87 अपील

मोह0खलीम पुत्र मोह0 हनीफ नावा0
व्दारा पिता मोह0 हनीफ पुत्र अब्दुलगनी
ग्राम इस्लामनगर तहसील लटेरी
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्व

1- मोह0शफी मृतक पुत्र शेख अमीन

वारिस

1. मोह.यूनिस पुत्र मोह0शफी
2. मोह.यूसिफ पुत्र मोह0शफी
3. जमीला वी पुत्री मोह0शफी
4. जीना वी पुत्री मोह0शफी
5. खातून वी पत्नि स्व. मोह0शफी
6. जैनव बी पत्नि स्व. मोह0शफी

सभी ग्राम इस्लामनगर तहसील लटेरी

2- आविद शाह मृतक पुत्र रहीम शाह

वारिस

1. हफीज शाह पुत्र आविद शाह
2. बहीद शाह पुत्र आविद शाह
3. हमीदशाह पुत्र आविद शाह

4. शकूराशाह पुत्र आविद शाह
5. बन्नो वी शाह पुत्री आविद शाह
6. बूटा वीशाह पुत्री आविद शाह
   सभी निवासी ग्राम इलामनगर
   तहसील लटेरी जिला विदिशा
7. हुसैनी वी शाह पुत्री आविद शाह पत्नि
   छुटटू ग्राम मलनिया तहसील लटेरी
8. कल्लो बी शाह पुत्री आविद शाह
   पत्नि जहूर ग्राम बबचिया तहसील नटेरन
   जिला विदिशा
9. अब्बी शाह पुत्र आविद शाह
   ग्राम मुरवास तहसील लटेरी जिला विदिशा --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री अन्मेज गुप्ता)
(अनावेदक क.1 के वारिसान के अभिभाषक श्री राजेश गिरी)
(अनावेदक क.5,6 के के अभिभाषक प्रेम सिंह ठाकुर)

आ दे श
(आज दिनॉक 3 - 11 -2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 260/1986-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-9-2001 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मोह0 शफी (अब मृतक) ने तहसीलदार लटेरी को आवेदन देकर बताया कि ग्राम जौरा बरखेड़ी स्थित आराजी कमांक 253 रकबा 0.682 है., 308 रकबा 1.700 है., 33

रकबा 0.316 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर पिछले 6-7 साल से खेती करते आ रहा है एंव लगान भी वही दे रहा है किन्तु पटवारी ने उसका कब्जा दर्ज नहीं किया है इसलिये उसका कब्जा दर्ज किया जाय। तहसीलदार लटेरी ने प्रकरण कमांक 85/अ-6-अ/1880-81 दर्ज कर जॉच व सुनवाई उपरांत आवेदक का आवेदन आदेश दिनांक 30-10-85 से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के समक्ष अपील कमांक 33/1986-87 प्रस्तुत हुई अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 13-4-87 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करते हुये अनावेदक कमांक-1 का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 260/1986-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-9-2001 से अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज का आदेश स्थिर रखते हुये अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों ने लिखित तर्क प्रस्तुत किया तथा उनके मौखिक तर्क भी सुने गये। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत लेखी तर्को एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से तथा मौखिक तर्को पर विचार करने से स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि पर मोह0 शफी ने अपने जीवन काल में तहसीलदार लटेरी को आवेदन देकर बताया था कि ग्राम जौरा बरखेड़ी स्थित वादग्रस्त भूमि पर पिछले 6-7 साल से खेती करते आ रहा है एंव लगान भी वही दे रहा है किन्तु पटवारी ने उसका कब्जा दर्ज नहीं किया है इसलिये कब्जा दर्ज किया जाय। तहसील न्यायालय ने आवेदक का आवेदन अवधि वाह्य पाकर निरस्त कर दिया, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज ने अपील कमांक 33/1986-87 में पारित आदेश दिनांक 13-4-87 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा

करने के आदेश देते हुये प्रकरण तहसील न्यायालय को सुनवाई हेतु वापिस किया है । अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 260/1986-87 में पारित आदेश दिनांक 19-9-2001 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत् रखा है। इसी वाद विषय पर माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 लटेरी के न्यायालय में प्रकरण कमांक 01 ए/2010 आवेदकगण ने दायर किया था, जिसमें पारित आदेश दिनांक 30.10.2012 से वादग्रस्त भूमि पर निर्णय हुआ है। व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है और इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति अनावेदक कमांक-1 के अभिभाषक ने प्रस्तुत की है जिसके अनुसार कार्यवाही होना लाजमी है।

5/ अतएव निगरानी आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार लटेरी को इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि यदि मान.यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 लटेरी के न्यायालय के प्रकरण कमांक 01 ए/2010 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2012 के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी नहीं हुई हो, तब वास्तविका की स्थिति जॉच करके, उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित किया जाय।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर